<u>ANNEXURE</u>

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 18.03.15 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.90hect for the Education Department... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..............

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Annexure-I

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- **LAND TRANSFER TO K.S.D.C. KUMAIN G.I.C. JOGATH FOR SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION.**

No.......................

Dated. 14-04-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.90 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of K.S.D.C. KUMAIN G.I.C. JOGATH in Uttarkashi District falls within jurisdiction of JOGATH village in CHINIYALISOUR tehsils

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.90 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Indudhar Baudai)
District Magistrate,
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– के० एस० डी० सी० कुमाई रा० इ० का० जोगथ, के भवन निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा, उत्तरकाशी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.90 है० आरक्षित वन भूमि ——— (0.90 हे0 आरक्षित वन भूमि, X हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि X....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि) का शिक्षा विभाग ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 31-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विजयनाथ शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विजयनाथ शुक्ला उपजिलाधिकारी —— डुण्डा ——अध्यक्ष
2– श्री आर० वी० सिंह ——उप प्रभागीय वनाधिकारी—— धरासू ——सदस्य
3– श्री सोनू सिं[illegible] ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी——सदस्य / सचिव
4– श्री के० के० पंत ——बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़ (उ०का०) ——सदस्य
5– श्री विजेन्द्र सिंह रावत (ब्लाक प्रमुख) बी० डी० सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़ (सदस्य) [signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

———————————————————————————

——— उपरोक्त प्रस्तावित ——परियोजना हेतु 0.90 हे0 वन भूमि को

———————————————————————————

——————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ________ प्रस्तावित ________ परियोजना के निर्माण हेतु ..0.90...... हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-......चिन्यालीसौड़.........
जनपद ....उत्तरकाशी.........

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...उत्तरकाशी........ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-...चिन्यालीसौड़.
जनपद.....उत्तरकाशी....

34	राकेश लाल	राकेश लाल
35	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
36	Sunil	Sunil
37	किशनसिंह	[illegible]
38	छोटी लाल	छोटी लाल
39	[illegible]	
40		[illegible]
41	अमरसिंह	[illegible]
42	देव सिंह	[illegible]
43	विक्रम सिंह	विक्रम
44	सुखदेव सिंह	सुखदेव
45	भगवान सिंह	भगवान
46	राजेन्द्र	Rajendra
47	मदन सिंह	Manelur
48	राजेश सिंह रावत	R[illegible]
49	कुन्दन सिंह रावत	कुन्दनसिंह
50	अतर सिंह	अतर सिंह
51	विनोद	विनोद सिंह
52	राहुल	राहुल
53	रोहित	रोहित
54	रामपाल	रामपाल
55	रघुवीर	रघुवीर
56	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्रसिंह
57	विन्द्रा देवी	विन्द्रा देवी
58	शान्ता देवी	शान्ता
59	आशा देवी	आशा
60	पुष्पा	पुष्पा

30/-

प्रधान ग्राम पंचायत
सौला

प्रपत्र-३.१

दिनांक 15-03-2015 .... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.... जोगथ ....

क्रमांक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	लक्ष्मण सिंह कैंतुरा	लक्ष्मण सिंह
2	राम सिंह कैंतुरा	[illegible]
3	भैरव दत्त	भैरव
4	राम सिंह	सिंह
5	बचन सिंह	ठुप्पादास
6	डालू राम	[illegible]
7	भीम सिंह	
8	जगत सिंह	जगत सिंह
9	प्रेमसिंह	Prem singh
10	कुलवीर सिंह	[illegible]
11	रघुपालसिंह	रघुपालसिंह
12	चन्द्रपालसिंह	चन्द्रपालसिंह
13	सुन्दरसिंह	सुन्दरसिंह
14	किशन सिंह	[illegible]
15	कुन्दन लाल	कुन्दनलाल
16	कुंदन लाल	कुन्दनलाल
17	प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
18	बलवीर	बलवीर
19	कुंवरसिंह चौहान	कुंवर सिंह
20	नारायण	नारायण
21	अवतारसिंह	अवतरसिंह
22	आजम सिंह	आजम सिंह
23	लखवा	लखवा
24	कृष्णसिंह	कृष्णसिंह
25	विजेन्द्रसिंह	विजेन्द्रसिंह
26	बलवीर	बलवीर
27	मोहन सिंह	[illegible]
28	सोहन लाल	[illegible]
29	राजपाल	राजपाल
30	बलबीर लाल	बलबीर लाल
31	प्रदीप सिंह	प्रदीप
32	नवकुमार लाल	नवकुमार लाल
33	गंगरी देवी	गंगरी देवी

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– के०एस०डी०सी० कुमाई रा०इ०का० जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हे० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – जोगथ
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला – उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु (0.90 हे० आरक्षित वन भूमि, –×– हे० सिविल सोयम भूमि × हे०, वन पंचायत भूमि –×– हे०) अर्थात कुल 0.90 हे० वन भूमि का शिक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोगथ द्वारा दिनांक 15.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य ~~है अथवा~~ नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोगथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.90 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत जोगथ
वि०ख० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत जोगथ (मल्ला)
ह०/–
ग्राम समिति
वि०ख० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।